मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 389] भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 जुलाई 2010—श्रावण 4, शक 1932

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2010

क्र. एफ-2-16-2008-तेरह.—यत:, राज्य सरकार ने, राष्ट्रीय कार्यक्रम ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना'' जो ग्रामीण विद्युत् अवसंरचना तथा घरेलू विद्युतीकरण स्कीम है, के अनुसरण में, राज्य के चयनित जिलों/ क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों को विद्युत् की पहुंच उपलब्ध कराने के आशय से राज्य की तीन विभिन्न वितरण कम्पनियां जैसे मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र, विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित कम्पनियां हैं, 'ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली तथा नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली' के साथ चतुष्पक्षीय करार किया है;

और, यत:, उपर्युक्त स्कीम के अधीन अवसंरचना विकास कार्यों जैसे लाईनों तथा उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य कई क्षेत्रों में पूरा हो चुका है, इण्डियन इलेक्ट्रीसिटी रूल्स, 1956 के उपबंधों के अनुसार उनका निरीक्षण तथा संस्थापना के साथ-साथ जन सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है;

और, यत:, यह आवश्यक है कि निश्चित समय जैसे मार्च, 2012 के भीतर स्कीम का क्रियान्वयन करने हेतु ऊर्जीकरण से पूर्व तत्परता से ऐसे निरीक्षण कार्य को पूरा किया जाये;

और, यत:, उपरोक्त निरीक्षण कार्यों के लिये उसको समय पर पूरा करने हेतु अधिक संख्या में विद्युत् निरीक्षकों की आवश्यकता है;

अतएव, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विद्युत् निरीक्षकों के रूप में वितरण कंपनियों के कार्यपालक इंजीनियरों को नियुक्त करती है, जो 33 किलोवोल्ट लाइनों के सिवाय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन विद्युत् कार्यों तथा संस्थापन के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन विद्युत् निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कृत्यों का निर्वाहन करेंगे.

No. F 2-16-2008-XIII.—WHEREAS, the State Government has entered into quadripartite agreement with Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi, three different distribution companies of the State i. e. Madhya Pradesh Poorva Kshetra Vidyut Vitran Company Limited, Jabalpur, Madhya Pradesh, Madhya Kshetra Vidyut Vitran Company Limited, Bhopal, Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitran Company Limited, Indore which are the companies incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) and National Thermal Power Corporation Limited, New Delhi,with the intention to provided access to electricity to rural programme "Rajiv Gandhi Gramin Vidyuti Karan Yojana" which is a scheme for rural electricity infrastructure and households electrification;

AND, WHEREAS, the infrastructure development works like construction of lines and sub-stations under the aforesaid scheme have been completed in number of areas need inspection as per the provisions of Indian Electricity Rules, 1956 to ensure safety of he installation as well as the public;

AND, WHEREAS, it is necessary to complete such inspection work with promptitude before energisation to make the scheme operational within the stipulated time i. e. March, 2012;

AND, WHEREAS, more number of electrical inspector are required for the aforesaid inspection works for its timely completion;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 162 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, hereby, appoints the Executive Engineers of the distribution companies as electrical inspectors, who shall exercise powers and perform the functions of electrical inspectors under the said Act in the respect of electrical works and installations under the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana expect in respect of 33 kilovolts lines.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, सचिव (ऊर्जा).

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.